17.5.18

पत्रावली आज लोक कोर्ट मेज में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम रबरवड़ के भूमि ख.नं. 383 के वादीगण व प्रति.नं. 6 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण वादीगण की खातेदारी के उपयोग उपभोग में अनावश्यक रूप से व्यवधान कारित करते है जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार नहीं है। वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादी नं. 1 से 5 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि व वादीगण की खातेदारी भूमि ख.नं. 383 के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करें।

पत्रावली के साथ शुमार होकर नतीजा दर्ज हो तथा दाखिल दफ्तर हो।